समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व अपील प्रकरण कं....................../........................../..........

R4255 I-16

विषयः— आदिल जनजाति सदस्य को भूमि विकय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार नं.1 :— श्रीमती सीता बाई गौड़, उम्र—38 वर्ष, पति श्री राजकुमार गौड़ निवासी—98/क, नारायणपुर तह. व जिला जबलपुर म.प्र.।

विरूद्ध

अनावेदकः— 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर
2. श्री ज्ञानचंद जैन उम्र—56 वर्ष, पिता श्री अमर चंद जैन, निवासी—डी. के. 1/71, कोलाआर रोड, दानिस कुंज, हुजूर भोपाल म.प्र.।

अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1. माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण कं. 45/अ—21/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 05/09/2016 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत् यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. यह कि आवेदिका श्रीमती सीता बाई गौड़, उम्र—38 वर्ष, पति श्री राजकुमार गौड़ निवासी—98/क, नारायणपुर तह. व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम ऐठाखेड़ा, प.ह.नं. 28,रा. नि.म. जबलपुर—2, तह. व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 232 रकवा 0.70 हे. भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री आत्मेश गर्ग उम्र—34 वर्ष पिता श्री गोपाल दत्त गर्ग निवासी—616/अ, चितरंजन वार्ड रामनगर, अधारताल जबलपुर तह. व जिला जबलपुर वालो को विकय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 11/02/2016 को (Annexure-2) म.प्र. भू—राजस्व 1959 की धारा 165 (6) के तहत् कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. प्रकरण तहसीलदार जबलपुर रा.नि.म. जबलपुर—2 द्वारा प्र.क.38/अ—21/15—16 मैं प्रतिवेदन दिनांक 17/7/2016 (Annexure-3) में प्रतिवेदन किया गया है कि भूमि विकय के अनुमति उपरांत आवेदिका के पास ग्राम भैसावाही, प.ह.नं. 60, रा.नि.म. कुंडम में 2.53 हे. सिंचित भूमि शेष बचेगी जो कि उसके जीवनयापन तथा उसके परिवार के भरण पोषण के लिये पर्याप्त है आवेदित भूमि विकय के पश्चात् आवेदिका को उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है आवेदिका के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा आवेदित भूमि सिंचित है तथा साथ ही यह भी प्रतिवेदन किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका द्वारा कय की गई थी। तथा यह भूमि शासन द्वारा पट्टे पर प्राप्त नहीं है साथ ही आवेदिका के साथ कोई छल कपट नहीं हो रहा है और न ही भूमि विकय के पश्चात् आवेदिका के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

4. तहसीलदार के उक्त प्रतिवेदन को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर के प्रकरण कं. 43/अ—21/2015—16 में प्रतिवेदन दिनांक 10/11/2016 (Annexure-4) के माध्यम से कलेक्टर जबलपुर को भेजा गया है।

NOTARY MOHAMMED ASHFAQUE JABALPUR DIST M.P Regd. No. 7829 GOVT. OF INDIA

कमशः2

सही/- सीता बाई

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – अपील 4255–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.12.16	यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 45/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 5–9–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 05–09–16 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । 3– प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में अपीलार्थिनी की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता हैं कि यह प्रकरण अपीलार्थिनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम ऐंठाखेड़ा प.ह.नं. 28 रा.नि.मं. जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 0.70 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आलोच्य भूमि आवेदक की स्वअर्जित भूमि है	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	शासन से प्राप्त भूमि नहीं है । चूंकि आवेदिका आदिम जनजाति की सदस्या है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि आवेदिका के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त ग्राम भैंसावाही में 2.53 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है । आवेदिका अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि क्रेता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है ऐसी स्थिति में आवेदिका को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात जिलाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-09-16 निरस्त किया जाता है तथा आवेदिका को उसके स्वामित्व की ग्राम ऐंठाखेड़ा प.ह.नं. 28 रा.नि.मं. जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 0.70 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक 2 श्री ज्ञानचंद जैन पिता श्री अमरचंद जैन को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी । अपील तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 4255-I/16 जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/12/16	आवेदक की ओर से अधि. श्री अनिल कुमार पटेल ने उपस्थित होकर म.प्र.भू-राजस्व संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि इस न्यायालय द्वारा इस निगरानी क्र. 4255-I/16 में पारित आदेश के पैरा-3 की सातवीं लाइन एवं 22वीं लाइन में खसरा नं. के बाद खसरा क्रमांक "232" एवं रकबा शब्द का उल्लेख करना त्रुटिवश रह गया है, जिसे अंकित करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक अधि. द्वारा बताई गई उक्त त्रुटि अभिलेख से होती है। अतः न्यायहित में इस प्रकरण में पारित अंतिम आदेश दिनांक 23/12/16 के पैरा-3 की सातवीं लाइन एवं 22वीं लाइन में "खसरा नं. के पश्चात एवं 0.70 हेक्टर के पूर्व "232 एवं रकबा" अंकित किया जाता है। इस प्रकार "खसरा नं. 070" के स्थान पर "खसरा नं. 232 रकबा 0.70" पढ़ा जाये। यह आदेश मूल आदेश का अंग रहेगा। (हस्ताक्षर) सदस्य	(हस्ताक्षर) 28.12.016 अनिल कुमार पटेल (एड.)